न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 59/24

GCMS NO 2024/131

1. बत्तीलाल पुत्र मल्लाराम
2. रामखिलाडी पुत्र मल्लाराम
3. रामकरनी पत्नि परसादी
4. मोहन पुत्र परसादी जातियान मीना निवारीयान ग्राम फुलवाडा तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. हरकेश पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला जिला गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 35/23 निर्णय दिनांक 5.9.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 14.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.9.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 1453 रकबा 0.75 है0, 1459 रकबा 3.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.91 है0 वाके ग्राम फुलवाडा मे स्थित है। जो गलत रूप से प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। उक्त ख0न0 1453 व 1459 के साबिक ख0न0 696 रकबा 16 बीघा 11 विस्वा मिन के बनाये गये है। उक्त साबिक ख0न0 696 रकबा 16 बीघा 11 विस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता व बाबा के खातेदारी के जमाबंदी सम्वत 2022 लगायत 2025 अंकित रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उक्त भूमि को जमाने बुर्जुगान से काश्त व लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 1 हरकेश ने साजिश पूर्ण तरीके से दौराने सेटलमेंट साबिक ख0न0 696 से बने नये ख0न0 1453 व 1459 को भू प्रबंध अधिकारी से साज कर गलत रूप से अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया है। इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त भूमि का विक्रय करने पर आमादा है। जिस पर अपीलार्थीगण अपने खातेदारी घोषित कराने व पूर्ण राजस्व रिकार्ड मे सही तरमीम कराने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा ... प्रार्थना पत्र अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा रेस्पो0 के विरूद्व पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.10.23 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 5.9.24 को वेकेट किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुए बिना ही अंतिम बहस करने पर सहमति प्रकट की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विधि अनुसार न्यायालय एक बार अपने विवेकानुसार कोई आदेश पारित कर देती है तत्पश्चात उक्त आदेश को बिना पक्षकारो को सुने पत्रावली पर अन्य कोई नवीन तथ्य आने की स्थिति मे ही अपने आदेश मे परिवर्तन कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के पश्चात प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश दिये गये थे साथ ही तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर ऐतराज प्रकट करने पर पुनः कब्जे के आधार पर मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया था। ऐसी स्थिति मे जब तक मौका रिपोर्ट न्यायालय मे पेश नही हो जावे एवं पक्षकारो को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 5.10.23 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट नही किया जा सकता। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को वेकेट करके कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका था स्थानान्तरण की सूचना पीठासीन अधिकारी को प्राप्त हो चुकी थी। इसके अनुसार विधि अनुसार अधिकारी को कोई भी आदेश पारित करने से वर्जित किया गया है इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश दिनांक 5.9.24 को पारित करने मे कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। जहॉ घोषणा एवं खातेदारी का दावा हो उस स्थिति मे मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखना आवश्यक है। जिससे वाद वाहुलता नही बढे इसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश को समाप्त कर कानूनी भूल की है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 5.9.24 इस हद तक अपास्त फरमाया जावे जिसमे मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत आदेश को विड्रो किया गया है एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे जाने हेतु प्रत्यर्थीगण/रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/गेरसायल की खातेदारी की आराजीयात बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाकर तहसीलदार बरनाला से विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट विगत 11 माह से प्राप्त नही होने की स्थिति मे अपीलांट/सायल द्वारा स्थगन की आड मे रेस्पो/गैरसायल को खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये। तहसीलदार बरनाला से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने के उद्देश्य से ऐतराज प्रकट किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.10.23 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील न्यायालय हाजा मे की जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.8.24 मे उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश जारी किये गये थे। अधिनरथ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट विगत 11 माह से प्राप्त नही होने की स्थिति को देखते हुए न्यायालय हाजा के निर्देशोन्तर्गत प्रकरण मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5.10.23 को वेकेट किया जाकर पत्रावली इन्तजार मौका रिपोर्ट मे नियत की गई है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है। प्रकरण वर्तमान मे अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जाना शेष है। तहसीलदार बरनाला द्वारा जौ मौका रिपोर्ट दिनांक 1.4.24 अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है वह मौके एवं रिकार्ड के आधार पर तैयार की जाकर की प्रस्तुत की गई है जो विधि अनुसार है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने के उद्वेश्य से ऐतराज प्रकट किया गया है। रेस्पो0 विवादित आराजीयात को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दीर्घकाल से अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी अधिकारो से वंचित होना मानकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को विधि अनुसार वेकेट किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात के बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/गैरसायल को आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाकर तहसीलदार बरनाला से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 5.10.23 की अपील इंस न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.8.24 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बरनाला से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 1.4.24 पर अपीलांट/सायलान द्वारा ऐतराज किये जाने पर अपीलांट का एतराज स्वीकार किया गया तथा पुनः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश पारित किये जाने के साथ साथ विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर दिनांक 5.10.23 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को वेकेट किये जाने के आदेश दिनांक 5.9.24 को पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त रेस्पो0 का होना माना गया है। आराजीयात की खातेदारी एवं हक हकूक दावे मे तय किये जावेगे। विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नही है। अपीलांट ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है ना ही कब्जे के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश किया है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे विवादित आराजीयात पर सायल का कब्जा नही होकर कब्जा रेस्पो0 का होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

SWM 9/6/10

का अंकन है। चूकि: प्रकरण अभी अधिनस्थ न्यायालय मे मौका रिपोर्ट के इंतजार मे लंबित है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही है।

अत:अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 33/23 मे पारित निर्णय दिनांक 5.9.24 की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे तहसीलदार बरनाला से मौके की रिपोर्ट अविलम्ब प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे नियत दिनांक को उपस्थित होना सुनिश्चत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नोट:- अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण सं० 33/23 की जगह 35/23 पढा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner